(16)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी - 2/10 सफदरजंग डवलपमेन्ट एरिया
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली - 110016

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

फा. संख्या 1-36/2000 (एनसीटीई) - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के खण्ड 14 और 15 के साथ पठित खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धाराएं (च) और (ज) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना फा. संख्या 28-11/95 एनसीटीई के अधीन जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (संशोधन) विनियम, 1998 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्न विनियम बनाती है :

1. इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जाएगा ।

2. ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

3. अध्यापक शिक्षा संस्थान (प्रारम्भिक) के लिए मानदण्डों और मानकों के अन्त में निम्न जोड़ा जाए और उसे पैरा 7.0 के रूप में अंकित किया जाए :

"7.0 पात्रता में रिआयत/पाठ्यक्रम की अवधि

क्योंकि कुछ राज्यों में प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की अवधि केवल एक वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता 10वीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने पाठ्यक्रमों को बदल कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । इस बीच पाठ्यक्रम की न्यूनीकृत अवधि के लिए, जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी तथा/अथवा पात्रता के न्यून मानदण्डों के लिए, जो कि दसवीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों से कम नहीं होंगे, मान्यता इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

303

केवल उसी राज्य के भीतर नौकरी के लिए मान्य होगा और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम, उनकी अवधि तथा प्रवेश के मानदण्ड वही हैं जो कि राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे ।"

4. अध्यापक शिक्षा संस्थान पूर्व-प्राथमिक (प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा) के मानदण्डों और मानकों के अन्त में निम्न सामग्री जोड़ी जाए और उसे पैरा 7.0 के रूप में अंकित किया जाए :

"7.0 पात्रता में रिआयत/पाठ्यक्रम की अवधि

क्योंकि कुछ राज्यों में पूर्व-प्राथमिक (प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा) की अवधि एक वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता दसवीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने पाठ्यक्रमों को बदलकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदण्डों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । तथापि, न्यूनीकृत अवधि तथा/अथवा प्रवेश के लिए न्यून मानदण्डों की अनन्तिम अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि राज्य (राज्यों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र केवल उसी राज्य (राज्यों) के भीतर नौकरी के लिए मान्य होगें और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम उनकी अवधि तथा प्रवेश के मानदण्ड वही हो जो कि उस राज्य (राज्यों) में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे।

एस. के. राय

(एस.के. रॉय)
सदस्य सचिव

Attested
Sam 11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

304

फा.संख्या 1-36/2000 (एनसीटीई) - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के खण्ड 14 और 15 के साथ पठित खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धाराएं (च) और (ज) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना फा. संख्या 28-3/98-99/एनसीटीई के अधीन जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्न विनियम बनाती है :

1. इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी. पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जाएगा ।

2. ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

3. अध्यापक शिक्षा संस्थान शारीरिक शिक्षा (शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम) (सी.पी.एड.) (उक्त विनियमों का परिशिष्ट-1) के लिए मानदण्डों और मानकों के अन्त में निम्न सामग्री जोड़ी जाए और उसे पैरा 7.0 के रूप में अंकित किया जाए :

"7.0 पात्रता में रिआयत/पाठ्यक्रम की अवधि

क्योंकि कुछ राज्यों में शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सी.पी.एड.) की अवधि केवल एक वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता 10वीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने पाठ्यक्रमों को बदल कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । इस बीच पाठ्यक्रम की न्यूनीकृत अवधि के लिए, जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी तथा/अथवा पात्रता के न्यून मानदण्डों के लिए, जो कि दसवीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 45% अंकों से कम नहीं होंगे, मान्यता इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल उसी राज्य के भीतर नौकरी के लिए मान्य होगा और

Attested
15/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

305

यह कि ऐसे पाठ्यक्रम, उनकी अवधि तथा प्रवेश के मानदण्ड वही हैं जो कि राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे ।"

4. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/बी.पी.एड पाठ्यक्रम (उक्त अधिनियम का परिशिष्ट-II) की पेशकश करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदण्डों और मानकों में आंशिक संशोधन करते हुए, जहाँ तक वे पाठ्यक्रम की अवधि से सम्बन्धित हैं, एनसीटीई की क्षेत्रीय समितियों को, एतद्द्वारा केवल शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 के लिए एक वर्ष की अवधि के बी.पी.एड. पाठ्यक्रम की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

एस. के. राय
(एस.के. रॉय)
सदस्य सचिव

अनुलग्नक "क"

छावनी परिषद्

रामगढ़ छावनी, दिनांक दिसम्बर, 2000.

का॰नी॰आ॰ चूँकि किसी कर से सम्बन्धित अधिसूचना का ड्राफ्ट, जो रामगढ़ छावनी परिषद्, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 61 के अनुसार छावनी परिषद्, रामगढ़ दिनांक 27.11.96 को आपत्ति या सुझाव प्रभावित व्यक्तियों से 30 दिनों की समाप्ति तक उक्त नोटिस के विचारार्थ आमन्त्रित किया था ।

और चूँकि उक्त नोटिस रामगढ़ छावनी के सूचनापट पर तथा दिनांक 29.11.96 को दैनिक (हिन्दी) प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया था ।

और चूँकि किसी भी व्यक्ति द्वारा छावनी परिषद्, रामगढ़ को कोई आपत्ति 30 दिनों की समाप्ति के अन्दर प्राप्त नहीं हुए तथा छावनी परिषद्, रामगढ़ ने प्रस्ताव सं॰ 1 दिनांक 2.1.97 के अन्तर्गत वाहन कर लगाने को अनुमोदित कर दिया ।

अत: छावनी परिषद्, रामगढ़ छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व स्वीकृति के पश्चात् रामगढ़ छावनी क्षेत्र के अंतर्गत वाहन कर लागू करती है जो निम्न प्रकार है :-

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

306

F.No.1-36/2000 NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

C-2/10, Safdarjung Development Area,
Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110 016

New Delhi, the 20th November, 2000

NOTIFICATION

No. F. 1-36/2000 NCTE - In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (h) of sub-Section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education, hereby makes the following Regulations to further amend the National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 1998, issued under notification F.No. 28-11/95 NCTE dated the 29th December, 1998.

1. These regulation may be called the National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 2000.
2. They shall come into force with immediate effect.
3. In the Norms and Standards for Teacher Education Institutions (Elementary), the following may be added at the end and numbered as para 7.0:-

"7.0 Relaxation in eligibility/duration of the course.

As in some States the duration of the elementary teacher education course is one year only and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such States are given time up to the end of

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भा.रा.शि.प., प्रशासन विभाग
मैदान लाइन्स, दिल्ली-54

academic session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. Meanwhile, recognition for reduced duration of the course, which shall not be less than one year and/or lower eligibility criteria, which shall not be less than a pass in class ten with at least 50% marks in aggregate, may be given subject to the condition that the certificate given by the State authorities in respect of such a course will be valid for employment within that State only and such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State on the date when the NCTE Act, 1993 came into force."

4. In the Norms and Standards for Teacher Education Institutions Pre-Primary (Early Childhood care and education), the following may be added at the end and numbered as 7.0:-

"7.0 Relaxation in eligibility/duration of the course.

As in some States the duration of the Pre-Primary (Early Childhood care and education) is one year and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such States are given time up to the end of academic session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. However, grant of recognition by NCTE in the interim period for reduced duration and or with lower eligibility criteria for admission will be subject to the condition that certificates given by the State(s) will be valid for employment within that State(s) only and that such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State(s) on the date when the NCTE Act, 1993 came into force.

(S.K.RAY)
Member Secretary

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

308

No. F. 1-36/2000 NCTE - In exercise of the powers conferred under clauses 9f) and (h) of sub-section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 the Nation Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations to amend the National Council for Teacher Education (Norms and Conditions for recognition of Teacher Education Programmes in Physical Education - C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) Regulations, 1998 issued under notification F.No. 28-3/98-99/NCTE dated the 29th December, 1998.

1. These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Norms and Conditions for recognition of Teacher Education Programmes in Physical Education - C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed) (Amendment) Regulations, 2000.
2. They shall come into force with immediate effect.
3. In the Norms and Standards for Teacher Education Institutions of Physical Education (Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed.) (Appendix I of the said Regulations) the following may be added at the end and numbered as para 7.0:-

"7.0 Relaxation in eligibility/duration of the course.

As in some States the duration of the Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed.) is one year only and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such states are given time up to the end of the academic session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. Meanwhile, recognition for reduced duration of the course which shall not be less than one year and/or lower eligibility criteria, which shall not be less than a pass in class ten with at least 45% marks in aggregate, may be given subject to the condition that the certificate given by the State authorities in respect of such a course will be valid for employment within that States only and such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State on the date when the NCTE Act, 1993 came into force."

Attested

11/5/11

सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल ... दिल्ली-54

IndiaCode

4. In partial relaxation of the Norms and Standards for Teacher Education Institutions of Physical Education offering PG Diploma/B.P.Ed. Course (Appendix II of the said regulation) in so far as they relate to the duration of the course, the Regional Committees of the NCTE are authorised to allow B.P.Ed. Course of one year duration for the academic year 2000-2001 only.

(S.K.RAY)
Member Secretary

Annexure-'A'.

CANTONMENT BOARD.

Ramgarh Cantonment, the December, 2000.

No.SRO whereas the draft for imposition of vehicle tax in Ramgarh Cantonment which the Cantonment Board, Ramgarh proposed to impose in exercise of the powers conferred by Section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) was published as required by section 61 of the said Act vide the Ramgarh Cantonment Board's Notice dated 27.11.1996 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of 30 days from the date of publication of the said notice :

And whereas the said notice was put on the Notice Boards of the Ramgarh Cantonment Board and published in the Local Hindi Daily " Prabhat Khabar " on 29.11.1996 :

And whereas no objections were received from the public by the Cantonment Board, Ramgarh before the expiry of the said period and the Board vide Cantonment Board Resolution No.1, dated 2.1.1997 approved the imposition of vehicle tax :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Ramgarh with the previous sanction of the Central Government, hereby impose vehicle tax within the limits of the Ramgarh Cantonment at the rates specified in the schedule annexed hereunder

Provided that the said vehicle tax shall not be levied on

1. Passenger vehicles,
2. All vehicles belonging to residents of Ramgarh Cantonment on production of certificate from Cantonment Board that vehicle is belonging to the said category,

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

National Council for Teacher Education Library, New Delhi.
Accession Number 6277
310
NCTE